# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–56 (लो0सू0अ0) / 2022–23

श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 04.11.2022 | श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक 24.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक–03.11.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 466094 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।<br>अपीलकर्त्ता श्री सुजीत कुमार मिश्रा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–13.09.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–13.09.2022 की प्रति संलग्न की है।<br>अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–13.09.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–24.11.2022 को उपस्थापित करें।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |

## अपील वाद संख्या–56 / 2022–23

| | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 24.11.2022 | दिनांक–04.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित है, परंतु अपीलार्थी अथवा उनका कोई लिखित मंतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–13.09.2022, (जो दिनांक–03.11.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) के माध्यम से समर्पित आवेदन दिनांक–7.09.2022 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है।<br>प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–228 दिनांक–28.09.2022 के माध्यम से आवेदक को अपना निर्णय / सूचना संसूचित किया है तथा इसकी छायाप्रति समर्पित किया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है।<br>विदित हो कि अपीलार्थी ने प्रपत्र 'क' दिनांक–13.09.2022 में निम्नांकित सूचना की मॉग लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से की थी:–<br>A. *राज्यपाल सचिवालय द्वारा तत्कालीन कुलपति श्री देवी प्रसाद तिवारी पर गठित जॉच समिति द्वारा राज्यपाल सचिवालय को समर्पित किये गये जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाय।*<br>B *लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि जॉच समिति की समर्पित अनुशंसा में एलिगेशन नं.–15, 18, 22, 33 एवं 37 में वित्तीय अनियमितता श्री देवी प्रसाद तिवारी द्वारा किया गया है।*<br>C. *राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–VKSU-07/2020 (Part-1) 736/GS (I) Dated-27.05.2022 के द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को देवी प्रसाद तिवारी द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को अनुशंसा प्राप्त हुई है।*<br>उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक–228 दिनांक–28.09.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना / निर्णय का प्रेषण किया:–<br>(A) & (B) " The Legal opinion restricts transmission of desired documents to any Agency as the same fall within the administrative ambit of the Hon'ble Chancellor and can be used by the office of the Hon'ble Chancellor for administrative purpose only and can not be divulged for being used or annexed as evidence.<br>(C) *कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि महालेखाकार, बिहार, पटना से श्री देवी प्रसाद तिवारी द्वारा वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में कोई अनुशंसा इस सचिवालय को प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।*<br>चूंकि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा वैधिक मंतव्य प्राप्त कर अपना निर्णय संसूचित किया है तथा अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त निर्णय / सूचना से असंतुष्ट होने का कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया है, अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br>24/11/2022<br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**–सह–**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |